संख्या एचसी-1/2025-हिन्दी कक्ष

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067

12

दिनांक: 05.06.2026

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों के अनुपालन के संदर्भ में।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन एवं अनुपालन की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया और यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। उपर्युक्त संदर्भ में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं. ई-1105/01/2021-हिंदी, दिनांक 26 मई, 2026 के अनुपालन की दृष्टि से संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:

1. अपने विभागों/अनुभागों में प्रशासनिक और अन्य बैठकों की कार्यसूची (Agenda) और कार्यवृत्त (Minutes) हिंदी में भी तैयार करवाएं।
2. फाइलों/ ई-फाइलों पर टिप्पणियां अधिक से अधिक हिंदी में लिखी जाएं। इसके लिए ई-ऑफिस में उपलब्ध अनुवाद सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल का प्रयोग भी किया जा सकता है।
3. सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे अपने दैनिक नोटिंग और ड्राफ्टिंग में यथा संभव अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। विभाग का मूल पत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2025-26) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए। इस प्रयोजन हेतु हिंदी कक्ष की सहायता ली जा सकती है।
4. 'क' और 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी यथा संभव हिंदी में दिया जाए ।
5. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट तथा डेटा भेजते समय उनके आवरण अग्रेषण (Forwarding) पत्र हिंदी में तैयार किए जाएं।
6. मेडिकल और तकनीकी विषय-वस्तु की जटिलता का ध्यान रखते हुए मेडिकल और तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी में ही यथावत रखते हुए देवनागरी में लिखा जाना चाहिए और शेष विषय वस्तु को हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए।
7. रजिस्टरों में सभी प्रविष्टियां हिंदी में दर्ज की जाएं।
8. संस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण व्याख्यान हिंदी में लिए जाएं।

अंकुर यादव

(प्रो. अंकुर यादव)
संकाय प्रभारी, हिन्दी कक्ष

प्रति प्रेषित:

1. संस्थान के सभी विभाग/ अनुभाग-सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी/प्रभारी –अपने अधीन कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों की जानकारी में लाने का कष्ट करें एवं अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. निदेशक के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
3. अधिष्ठाता (डीन) के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
4. उप निदेशक प्रशासन के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
6. कंप्यूटर कक्ष- संस्थान की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

File No. HC/1/2025-Hindi Cell (Computer No. 3317)
Generated from eOffice by GANESH SHANKER SRIVASTAVA, I/C(GSS)-Hindi Cell, In-charge (Hindi Cell), THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE on 12/06/2026 02:58